भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1324

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

विश्वास योजना

1324. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्वास योजना नामक एक नई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस योजना के तहत एससी, ओबीसी और सफाई कर्मचारियों को कोई सब्सिडी प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई मानदंड तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत कितनी निधि निर्धारित/स्वीकृत/जारी की गई है; और
(च) सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ताकि योजना का लाभ अंतिम छोर तक जरूरतमंदों को मिल सके?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) और (ख): हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात सरकार ने "वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास)" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और अन्य समान वित्तीय संस्थानों (एफआई) के माध्यम से ऋण लेने वाले पात्र स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को 5% की दर से ब्याज में छूट प्रदान करना है।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी (चिन्हित हाथ से मैला ढोने वाले, कचरा बीनने वाले और उनके आश्रितों सहित) से संबंधित व्यक्ति ब्याज में छूट के लिए पात्र होंगे। यह योजना प्रारंभ में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रियान्वित की जा रही है तथा इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तीन वित्त विकास निगमों अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) और (घ): अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है, 5.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सफाई कर्मचारियों (चिन्हित हाथ से मैला ढोने वाले, कचरा बीनने वाले और उनके आश्रितों सहित) के मामले में कोई आय मानदंड लागू नहीं होगा। इसके अलावा, किसी भी ऋणदाता संस्थान द्वारा 10.00 लाख रुपये तक के ऋण/नकद ऋण सीमा के माध्यम से समर्थित एसएचजी ब्याज में छूट के लिए पात्र होंगे। एसएचजी के सदस्यों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि एसएचजी के कम से कम 70% सदस्य एससी, ओबीसी या सफाई कर्मचारी होने चाहिए।

(ङ): चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज छूट के लिए 97.5 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की धनराशि निर्धारित की गई है।

(च): यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ जरूरतमंदों को प्राप्त हो, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: i) तीन वित्त विकास निगमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान और आरआरबी के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है ii) जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, ऋणदाता संस्थानों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है ताकि उन्हें योजना के बारे में परिचित कराया जा सके और विभाग की सभी वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए सिंगल प्वाइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जा सके, iii) संभावित लाभार्थियों के बीच पर्याप्त प्रचार करने और जागरूकता की सुविधा के लिए बैंकों को मानकीकृत प्रचार सामग्री प्रदान की गई है, iv) बैकों तथा अन्य स्थानों पर स्कीम से संबंधित सूचना और उसके विवरण को दर्शाते हुए स्कीम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को सुनिश्चित किया जा रहा है, v) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से ब्याज में छूट की राशि को सीधे ही लाभार्थियों के खाते में डाला जाएगा।

******